


XXX X(a)BR(H)-11



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1600-दो/14


जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-14	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव एवं श्री रमेश पाठक, अभि. उप.। आवेदक अभि.इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते ।</p> <p>अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम.के.सिंह) सदस्य</p>	

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



निगरानी प्र०क०...../14



कमांक- श्रीमान राजस्व मण्डल

26.5.14 अजय पाठक तनय स्व०बृजेन्द्रनाथ पाठक पेशा-व्यापार निवासी चाणक्यपुरी कालोनी सतना जिला सतना म०प्र०

आवेदक/निगराकार/पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम

रज-1600-II-14

507 PM 14
26-5-14

प्रेमशंकर तनय मुन्नुलाल अवस्थी निवासी हनुमान चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म०प्र०)

2. सावित्री देवी पत्नी रामकुमार अग्रवाल निवासी सेमरिया चौक सतना, जिला सतना (म०प्र०)
 3. रामकुमार अग्रवाल तनय भानूराम अग्रवाल निवासी सेमरिया चौक सतना, जिला सतना (म०प्र०)
 4. संजय कुमार अग्रवाल तनय रामकुमार अग्रवाल निवासी सेमरिया चौक सतना, जिला सतना (म०प्र०)
 5. बंदी प्रसाद यादव तनय रामदास यादव
 6. श्रीमती सुद्धी पत्नी बंदी प्रसाद यादव
 7. बाला प्रसाद तनय बंदी प्रसाद यादव
 8. लक्ष्मी प्रसाद यादव तनय बंदी प्रसाद यादव
 9. प्रदीप कुमार तनय बंदी प्रसाद यादव
 10. श्रीमती ममता पत्नी बाला प्रसाद यादव
 11. श्रीमती माया पत्नी लक्ष्मी प्रसाद यादव
- सभी निवासी कोलगवां तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०
12. रमन मलिक टी०एम०भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० शहपुरा बितौनी जबलपुर
 13. ताजुद्दीन तनय एनामुद्दीन निवासी रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना (म०प्र०)
 14. शासन (म०प्र०)-----अना०गण/गैर निगराकारगण/गैर पुर्नविलोकनकर्तागण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51
म०प्र०भू०रा०सं० न्यायालय द्वारा निगरानी
कमांक-410(1)/13 में पारित आदेश
दिनांक 03.04.13 के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में आवेदक/निगराकार/पुर्नविलोकनकर्ता निम्नलिखित आधार पर आवेदनपत्र प्रस्तुत कर विनयी है :-

01. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा निगराकार की निगरानी प्रारम्भिक तौर पर विलम्ब का आधार बनाकर निरस्त की गयी है, जबकि निगराकार द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अपने निगरानी मेमो में अंकित किये गये थे, और यह भी दर्शित किया गया था कि जानकारी के आधार पर विलम्ब का आवेदन पत्र पृथक से प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण नहीं था, उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उक्त आधारों के सम्बन्ध में

Conti.....2